

93755 - ज़कातुल-फ़ित्र निकालने का स्थान

प्रश्न

मैं कुवैत का रहने वाला एक युवक हूँ, लेकिन मैं अमेरिका में अपनी बेटी का इलाज करा रहा हूँ और मैंने अमेरिका ही में रमज़ान का रोज़ा रखा है। क्या मुझे ज़कातुल-फ़ित्र का भुगतान अमेरिका ही में करना होगा या कि मैं कुवैत में अपने परिवार को, अपनी ओर से उसका भुगतान करने के लिए, प्रतिनिधि बना सकता हूँ? तथा ज़कातुल-फ़ित्र को नक़दी के रूप में भुगतान करने का क्या हुक्म है? ज्ञात रहे कि अमेरिका में लोग ज़कातुल-फ़ित्र का भुगतान ग़ल्ले (अनाज) के बजाय नक़दी के रूप में करते हैं।

विस्तृत उत्तर

विद्वानों रहिमहुल्लाह ने उल्लेख किया है कि ज़कातुल-फ़ित्र का संबंध (रोज़ेदार के) शरीर से है, (उसके) धन से नहीं है। अतः उसको उस जगह पर निकाला जाएगा जहाँ रोज़ेदार व्यक्ति ईद की रात को मौजूद होता है।

इब्ने कुदामह रहिमहुल्लाह "अल-मुग्नी" (4/134) में कहते हैं :

"जहाँ तक ज़कातुल-फ़ित्र का संबंध है, तो वह उसे उस देश में निकालेगा, जहाँ वह उसपर अनिवार्य हुई है, चाहे उसका धन उस देश में है या नहीं है।" उद्धरण समाप्त हुआ।

जहाँ तक ज़कातुल-फ़ित्र को नक़दी के रूप में भुगतान करने का संबंध है, तो प्रश्न संख्या : (22888) के उत्तर में यह उल्लेख किया जा चुका है कि अनिवार्य यह है कि उसे ग़ल्ले के रूप में निकाला जाए और यह कि उसे नक़दी के रूप में निकालना पर्याप्त नहीं है।

इसलिए आपको उसे ग़ल्ले के रूप में निकालने की कोशिश करनी चाहिए। यदि गरीब व्यक्ति ग़ल्ला लेने से इनकार कर देता है और नक़दी मांगता है, तो फिर ऐसी स्थिति में, आवश्यकता या ज़रूरत के कारण, आपके लिए उसे नक़दी के रूप में निकालने में कोई आपत्ति की बात नहीं है।

और अल्लाह ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।